

ज्वलंत समस्याएं व पंचवर्षीय योजना

1. जनसंख्या
2. बेरोजगारी
3. सातवीं पंच-वर्षीय योजना

अध्याय-20

जनसंख्या व बेरोजगारी

किसी भी अन्य भौगोलिक क्षेत्र की तरह आबादी इसके लिए मानव संसाधन जुटाती है। मनुष्य, श्रम के रूप में उत्पादन का एक महत्वपूर्ण व सक्रिय साधन है। साथ ही यह उपभोक्ता भी है। अर्थात् सारा उत्पादन उसी के उपभोग के लिए किया जाता है। अतः यह उत्पादन का साधन व साध्य दोनों ही है। जनसंख्या में वृद्धि जहां एक तरफ काम करने के लिए अधिक हाथ जुटाती है वहीं खाने वाले अधिक मुंह व पेट भी हैं। यदि इस मानव संसाधन को उत्पादन प्रक्रिया में लाभकारी काम धंधों में न लगाया जाये, आर्थिक विकास की योजना बनाते समय उनके लिए अतिरिक्त पर्याप्त रोजगार के अवसर न जुटाये जायें तो यह जनसंख्या की वृद्धि उत्पादन के विपरीत भी जा सकती है। हिमाचल जैसे राज्य में जहां प्रति व्यक्ति आय व बचत की दर में तीव्र वृद्धि बचत व विनियोग के मार्ग में रुकावट पैदा कर सकती है।

हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या की विशेषताएं

(1) जनसंख्या में तीव्र वृद्धि :- सन् 1901 में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 19.2 लाख थी। 1991 के अस्थाई व त्वरित आंकड़ों के अनुसार यह बढ़र 51.11 लाख हो गई है। इन नौ दशकों में जनसंख्या की वृद्धि का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि पहले 50 वर्ष में अर्थात् 1951 तक जनसंख्या में वृद्धि 4.66 लाख ही थी। 1981-91 के दशक में 8.3 लाख वृद्धि हुई। इसके विपरीत आगामी 40 वर्षों में (1951-1991) यह 27.25 लाख बढ़ी। स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के बाद आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। सन् 1981 में वृद्धि की दर 23.71 प्रति हजार थी जो 1991 में कम होकर 19.39 प्रति हजार रह गई है।

1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में कांगड़ा जिले की जनसंख्या सबसे अधिक (11.49 लाख) थी। दूसरे स्थान पर मंडी जिला (7.68 लाख) व तीसरे स्थान पर शिमला जिला (6.14 लाख) था। कम जनसंख्या लाहौल स्पिति में 30820 थी, किन्नौर में (80,931) थी। चम्बा, हमीरपुर, कुल्लू, सोलन व बिलासपुर जिलों में से प्रत्येक की आबादी लगभग 3.3 लाख थी।

2. स्त्री-पुरुष अनुपात : 1901 की जनगणना के अनुसार हिमाचल में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 884 महिलायें थीं। इस स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार होता रहा। सन् 1981 में यह अनुपात बढ़कर 973 हो गया था। 1991 की जनगणना में यह 996 हो गया है। परन्तु यह स्थिति सभी जिलों में एक समान नहीं है। हमीरपुर जिले की सभी तहसीलों में स्त्रियों का अनुपात अधिक रहा है। कांगड़ा जिले में नूरपुर उपमण्डल को छोड़कर शेष सभी में महिलाओं का अनुपात अधिक है। ऊना जिले में ऊना तहसील को छोड़कर शेष सभी भागों में भी महिलाओं का अनुपात अधिक है। स्पष्ट है कि गर्म व कम ऊंचाई वाले भागों में स्त्रियों

का अनुपात अधिक तथा ठण्डे व अधिक ऊँचाई वाले जिलों में महिलाओं का अनुपात कम है। महिलाओं का सबसे कम अनुपात लाहौल-स्पिति व किन्नौर जिले में है।

3. घनत्व :- हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 55673 वर्ग मील है। 1991 की गणनानुसार आबादी 51.11 लाख है। अतः हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व 92 है अर्थात् हिमाचल प्रदेश में औसतन प्रति वर्ग किलोमीटर में 92 व्यक्ति रहते हैं। राज्य में हमीरपुर (321) ऊना (243) व बिलासपुर (250) अधिक घनत्व वाले जिले हैं। लाहौल-स्पिति, किन्नौर, कुल्लू व चम्बा कम घनत्व वाले जिले हैं।

4. साक्षरता :- हिमाचल प्रदेश में 1961 में साक्षरता की दर 21.27 प्रतिशत थी। 1981 में बढ़कर 42.48 हो गई। 1991 की गणना के अनुसार प्रति 100 व्यक्तियों में साक्षर व्यक्तियों की संख्या 63.54 हो गई है। 100 पुरुषों में 74.52 साक्षर हैं, जबकि 100 महिलाओं में 52.46 महिलायें साक्षर थीं। गत दशक में पुरुषों में साक्षरता में 21.33 प्रतिशत तथा महिलाओं में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सबसे साक्षर लोग हमीरपुर में हैं। ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, शिमला का स्थान उत्तरोत्तर कम होता जाता है। जन-जातीय क्षेत्रों में किन्नौर में साक्षरता की दर 57.10 (1981) थी जो हिमाचल प्रदेश के औसत (53.19) से थोड़ी-सी कम थी। चम्बा में साक्षरता सबसे कम थी।

5. जन्मदर-मृत्यु दर :- हिमाचल प्रदेश में 1972 में जन्म दर 33.1 प्रति हजार थी। 1981 में यह घटकर 31.5 हो गई। इस अवधि में उतार-चढ़ाव भी आये। 1973 में जन्म दर 37.6 प्रतिशत हो गई थी। जन्म दर सबसे कम 1978 में थी। मृत्यु दर 1972 में 15.9 थी जो 1981 में घटकर 11.1 हो गई। 1980 में यह सबसे कम (10.4) थी। स्पष्ट है कि जन्म दर व मृत्यु दर में गिरावट काफी आई है।

6. ग्रामीण व शहरी :- राज्य में 1951 में 95.9 प्रतिशत व्यक्ति गांव में रहते थे। 1981 की गणना के अनुसार अभी भी गांवों में 92.4 प्रतिशत लोग रहते हैं। गांवों में बहुत कम 3.5 प्रतिशत की ही कमी आई है। शहरों में इसी अवधि में 4.1 प्रतिशत से आबादी बढ़कर 7.6 प्रतिशत हुई। स्पष्ट है कि अभी भी राज्य की बहुत बड़ी संख्या गांवों में भी रहती है।

7. अर्जक व आश्रित जनसंख्या :- 15-59 वर्ष समूह के व्यक्तियों में कमाने वाले या अर्जक तथा 0-14 वर्ष व 60 से अधिक आयु वाले बच्चों व बूढ़ों को आश्रित माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में 1981 की गणना के अनुसार कमाने वाले 52 प्रतिशत व निर्भर 48 प्रतिशत थे।

8. कृषक-गैर कृषक :- कृषि हिमाचल प्रदेश का मुख्य व्यवसाय रहा है। 1981 की जनगणना के अनुसार कुल काम करने वालों का 70.80 प्रतिशत कृषि में संलग्न था। इनमें से 68.08 प्रतिशत कृषक तथा 2.72 प्रतिशत खेतीहर मजदूर थे। कुटीर व निर्माण उद्योग में 1.84 प्रतिशत व्यक्ति काम करते थे। 27.36 प्रतिशत व्यक्ति अन्य कामों में संलग्न थे। इनमें से लगभग 12 प्रतिशत सरकारी नौकरियां में थे।

9. परिवार कल्याण कार्यक्रम :- हिमाचल प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम 1956-57 में चालू किया गया था। इसका मुख्यध्येय जनसंख्या की तेज़ वृद्धि को रोकना था। इस सम्बन्ध में जो कार्यक्रम बनाये गये उनका उद्देश्य लोगों को छोटे परिवार रखने के लिए प्रेरित व उत्साहित करना था। इसके अधीन नसबन्दी, नलबन्दी, लूप लगाना या अन्य गर्भ-निरोधक उपायों को अपनाना था। 1966-67 के बाद हर वर्ष के लिए एक निशाना या लक्ष्य नियत कर दिया जाता था। 1975 के बाद इसमें तेज़ी आई। नसबन्दी व नलबन्दी कराने वालों को आर्थिक प्रोत्साहन के अलावा कुछ अन्य सुविधायें भी प्रदान की गई हैं। जैसे नकद राशि, अवकाश, वेतन में एक या दो वेतन वृद्धि, कम ब्याज पर रुपया उधार मिलना। साथ ही आप्रेशन के लिए स्त्री-पुरुष को राजी करके लाने वालों को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। लक्ष्य पूरा करने वाले जिलों या पंचायतों को इनाम भी दिये जाते हैं।

हिमाचल प्रदेश में बेरोज़गारी

अर्थ : बेरोज़गारी से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें काम के अवसर, काम चाहने वालों से कम होते हैं। दूसरे शब्दों में जब श्रम की मांग व पूर्ति में असन्तुलन पैदा हो जाता है तो लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। विकसित क्षेत्रों व देशों में यह असन्तुलन अल्पकालीन होता है जो व्यापार चक्र या किसी अन्य कारण से होता है। इसमें थोड़े समय के लिए श्रम की मांग कम हो जाती है। इसलिए इसे मांग जन्य बेरोज़गारी कहते हैं। इसके विपरीत हिमाचल जैसे पिछड़े भागों में किन्हीं कारणों से मांग यकायक अल्पकाल के लिए कम नहीं होती बल्कि आबादी के लगातार बढ़ने से श्रम की पूर्ति बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, पिछड़े भागों में कई दशकों तक जनसंख्या निर्वाह ढंग से बढ़ती जाती है। परिणामस्वरूप काम चाहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था पिछड़ी होती है। अब संरचनाओं का विकास अल्प होता है। आय कम होने से बचत व पूंजी निवेश कम होता है। अतः श्रम की मांगको पूरी कोशिश करके भी उतना नहीं बढ़ाया जा पाता जिससे श्रम की पूर्ति के बराबर हो जाए। चूंकि यह बेरोज़गारी मानव संसाधन में तीव्र वृद्धि के कारण होती है। इसलिए योजना कल्याणबद्ध विकास के कार्यक्रम में एक तरफ तो आर्थिक विकास की गति तेज़ की जाती है तो दूसरी तरफ परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को तेज़ करके जनसंख्या की वृद्धि पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है।

दुनिया का अनुभव यह बताता है कि लोगों की आय बढ़ने पर वे अपने परिवार को सीमित रखना चाहते हैं और जन्म दर को कम कर देते हैं। ऐसा यूरोप या अमेरिका में तो सम्भव हो सकता है। भारत व हिमाचल की स्थिति इससे भिन्न है। 1951 में योजनाबद्ध तरीके से विकास हुआ। पूंजी निवेश बढ़ा, लोगों की आय बढ़ी परन्तु उसी अनुपात में जनसंख्या की वृद्धि कम होने के बजाय और तेज़ गति से बढ़ी। 1980 तक जनसंख्या की वृद्धि की दर में, कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं आया। कारण स्पष्ट है। योजनाबद्ध विकास का लाभ समाज के बहुत कम लोगों को मिला। देश या राज्य की बहुसंख्या ऐसी है जिस तक विकास के लाभ अभी तक नहीं पहुंचे यदि पहुंचे हैं तो बहुत कम। इसीलिए गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों का प्रतिशत अभी भी बहुत ऊंचा है। दूसरे शब्दों में विकास की गति को और अधिक तेज़ करना होगा, विकास की दिशा को बदलकर गांवों की ओर करना पड़ेगा, प्राथमिकताओं में परिवर्तन कर, पूंजी प्रधान विकास की जगह श्रम प्रधान परियोजनाएं बनानी पड़ेंगी। प्रो० कोलिन क्लार्क का मत हिमाचल या भारत जैसे क्षेत्रों में कुछ सीमा तक ही ठीक बैठता है। उनके मत के अनुसार यदि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से चार गुणा अधिक निवेश किया जाये तो बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

गरीबी व बेरोज़गारी एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। कौन कारण है और कौन परिणाम या कौन बीज व कौन फल कहना कठिन हो जाता है। हिमाचल में गरीबी है इसलिए जनसंख्या अधिक है। बचत कम है, विनियोग कम है अतः आर्थिक विकास कम है। परिणामस्वरूप श्रम की मांग कम होगी और बेरोज़गारी बढ़ेगी। इससे उल्ट सोचिये। परिवार में कमाने वाले कम व खाने वाले अधिक हैं। कमाने वाले इसलिए कम नहीं कि वे कमान नहीं चाहते वरन् इसलिए कि उन्हें रोजगार नहीं मिलता। उनके पास योग्यता है कि वह कहीं भी जाने को तैयार हैं। कोई भी काम करने को तैयार है परन्तु काम नहीं मिलता। बेरोज़गार होने से परिवार की आय कम है, बचत कम है, निवेश कम है और वह गरीब है।

गरीबी व बेरोज़गारी एक बड़ा अभिशाप है। हजार घराइयों की जड़ है। 40 वर्षों के योजनाबद्ध विकास के बाद भी बेरोज़गारी कम होने के स्थान पर पहले से बढ़ी है। बेरोज़गार व्यक्ति आत्मविश्वास

खो देता है। निराशा में भटकता है। समाज अमीर व गरीब के वर्गों में बंट जाता है। राष्ट्र विरोधी शक्तियों को ऐसे बेकार लोगों की तलाश होती है। वे उन्हें आसानी से बहका कर अपने जाल में फंसा सकते हैं और फिर देश को तबाह करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। ऐसा ही जम्मू-कश्मीर, पंजाब या आसाम में हो रहा है।

हिमाचल प्रदेश की स्थिति

हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक साधनों के अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि राज्य में वन आवश्यकता से बहुत कम है। कोई प्रमुख खनिज ऐसा नहीं जिसका निर्यात कर आय प्राप्त की जा सके। शक्ति के साधनों का भी अभाव है। जल संसाधन का शक्ति के रूप में केवल 2 प्रतिशत भाग ही प्रयोग हो पाया है। भौगोलिक क्षेत्रफल केवल 10 प्रतिशत भाग पर कृषि होती है। अभी भी 80 प्रतिशत से अधिक बोया गया क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। खेत छोटी-छोटी पट्टियों में हैं व बिखरे हुए हैं। अतः कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक प्रयोग कर पैदावार बढ़ाने की सम्भावना कम है। उद्योग धन्धों का अभाव है राज्य में एक भी बड़े पैमाने का उद्योग नहीं। योजनाओं में भी सरकारी क्षेत्र में कोई बड़ा कारखाना नहीं लगा। रेलों का विस्तार बहुत कम है। सड़क-निर्माण या सरकारी नौकरी ही ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार के अवसर जुटाने गये हैं परन्तु सरकारी नौकरी में अब थमाव आ गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण हो चुका है। किन्हीं वित्तीय साधनों के अभाव में स्वीकृत बड़ी जल विद्युत परियोजना का कार्य तेज़ गति नहीं पकड़ रहा है। परिणामस्वरूप श्रम की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो पा रही। इसके उल्ट लगातार घाटे के बजट बनाने से सरकार की स्थिति भी जटिल हो गई है। वर्ष 1990-91 में इसी जटिल स्थिति के फलस्वरूप बहुत से मजदूरों की छटनी कर दी गई। राज्य सरकार के वित्तीय साधन सीमित हैं। 9वें वित्त आयोग की सिफारिशों से भी हिमाचल जैसे राज्य को केन्द्र से अधिक सहायता नहीं मिल पाई। कई राज्य केन्द्र व राज्यों के बीच वित्तीय साधनों के बटवारे पर पुनः विचार की बात कहते हैं। परन्तु राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिलने के बाद भी हिमाचल प्रदेश के वित्तीय साधनों में कोई विशेष परिवर्तन आने की सम्भावना नहीं ऐसी अवस्था में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर ही बड़ी मात्रा में विनियोग के मार्ग खोलने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। परन्तु इन सभी बातों में समय लगेगा इतना कौन जाता है ? रोज़ी व रोटी तो रोज चाहिए। उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन से स्पष्ट है कि निकट भविष्य में श्रम की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की सम्भावनाएं कम हैं। दूसरी तरफ परिवार कल्याण कार्यक्रम पर नज़र डालिए। जन्म दर 30 है व मृत्यु दर 10 अतः जनसंख्या में विकास की दर अभी भी 20 प्रति हजार है। इसे शून्य विकास दर पर लाने में अभी कई दशक लग जायेंगे। तब तक रोजगार बाज़ार में श्रम की पूर्ति में बहुत वृद्धि हो चुकी होगी। परन्तु इससे निराशा होने की बात नहीं। गरीबी व बेरोज़गारी के दुष्चक्र को तोड़ना कोई सहज कार्य तो नहीं है। सदियों की इस बुराई पर नियन्त्रण पाने व उसकी दिशा बदलने में समय तो लगेगा।

बेरोज़गारी का स्वरूप

हिमाचल प्रदेश में बेरोज़गारी दो प्रकार की है - शिक्षित बेरोज़गारी और निहित बेरोज़गारी।

शिक्षित बेरोज़गारी : जनसंख्या के अध्ययन में आप पढ़ चुके हैं कि हिमाचल में 70 प्रतिशत लोग अनार्थिक जोतों पर कृषि करते हैं। निर्माण व उद्योग में केवल 2.72 प्रतिशत लोग हैं। सरकारी नौकरियों में अधिक गुंजाइश नहीं। बड़ी परियोजनाओं का काम गति नहीं पकड़ रहा। कोई बड़ा उद्योग नहीं लग रहा। औद्योगिक वस्तुओं की स्थानीय मांग नहीं है जिससे स्वरोज़गार के अवसर भी कम हैं। 1987 में राज्य में लगभग 3.25 लाख शिक्षित बेरोज़गार थे।

क्र० सं०	बेरोज़गारों की श्रेणियां	संख्या
1.	स्नातकोत्तर	6,799
2.	स्नातक	20,797
3.	मैट्रिक व अधिक	1,97,751
4.	मिडिल या अधिक	1,00,383
5.	कुल	3,25,730
स्रोत : रोज़गार निदेशालय हिमाचल प्रदेश		

उपरोक्त तालिका में हिमाचल प्रदेश के रोज़गार कार्यालयों में दर्ज रोज़गार चाहने वाले शिक्षित लोगों का विवरण है। राज्य में एक लाख व्यक्ति मैट्रिक से कम योग्यता वाले हैं जो कोई भी मजदूरी का कार्य करने को तैयार होते हैं। लगभग 2 लाख व्यक्ति मैट्रिक पास या स्नातक स्तर से कम योग्यता वाले हैं। जो विभिन्न कार्यालयों में काम कर सकने की क्षमता रखते हैं। इनमें डिप्लोमा धारक व्यक्ति भी शामिल हैं। लगभग 27,000 व्यक्ति स्नातक व स्नातकोत्तर योग्यता वाले भी बेरोज़गार हैं।

सामान्य तौर पर राज्य में इंजीनियरिंग की डिग्री वाले व्यक्तियों को 2-3 वर्ष में भी रोज़गार नहीं मिल पाता। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवारों को तो 3-5 वर्ष रोज़गार पाने में लग जाते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के स्नातकों की स्थिति भी ऐसी ही है।

निहित बेरोज़गारी : कृषि क्षेत्र में निहित बेरोज़गारी होती है। बहुत कम भूमि पर परिवार के सभी व्यक्ति काम करते हैं क्योंकि उनके पास अन्य लाभदायक काम नहीं होता। यदि उन्हें कृषि काम से अलग कर दिया जाये तो कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आयेगी। कृषि की वर्षा पर निर्भरता गांवों में कुटीर व लघु उद्योगों का अभाव व जोत की छोटी व आर्थिक सीमा निहित बेरोज़गारी के प्रमुख कारण हैं।

1981 की जनगणना के अनुसार काम में लगे हुए व्यक्तियों में से 19 प्रतिशत सीमान्त कामगार थे जिन्होंने वर्ष में 6 माह से कम काम किया तथा 34 प्रतिशत ने वर्ष में 6 माह या उससे अधिक काम किया। स्पष्ट है कि 53 प्रतिशत कामगार ऐसे थे जिन्हें साल भर काम नहीं मिला।

उद्योगों के क्षेत्र में भी मौसमी उद्यम है। दूसरी आर्थिक गणना 1981 के निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि हिमाचल में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कुल उद्यमों में से 12.25 प्रतिशत उद्यम मौसमी थे। अर्थात् काम करने वालों को पूरा वर्ष काम नहीं मिलता। एक विशेष मौसमी में ही ये कार्यरत होते हैं।

सरकार के प्रयास : बेरोज़गारी को सीमित करने के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, जवाहर रोज़गार योजना तथा इंदिरा आवास योजना के माध्यम से गरीब लोगों को काम उपलब्ध कराया गया। युवकों के लिए ट्राईसम योजना के अधीन उन्हें प्रशिक्षण दिलाकर स्वरोज़गार के अवसर जुटाये जाते हैं। वित्तीय साधनों के अभाव व जनसंख्या में वृद्धि पर काबू न पा सकने के कारण बेरोज़गारी की समस्या दिनों दिन जटिल होती जा रही है।

(अ) निबन्धात्मक प्रश्न

- (i) हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो।
- (ii) जनसंख्या मानव संसाधन है। इसका महत्त्व बताते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रम पर प्रकाश डालिये।
- (iii) बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है ? जनसंख्या व गरीबी से इसका क्या सम्बन्ध है ? स्पष्ट कीजिए।
- (iv) हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है ? लिखो।
- (v) हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी के स्वरूप को समझाइये।

(ब) लघु उत्तर प्रश्न

- (i) हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि पर प्रकाश डालिये।
- (ii) जनसंख्या के घनत्व से क्या अभिप्राय है ? हिमाचल में जनसंख्या के घनत्व का वर्णन करो।
- (iii) जन्म दर व मृत्यु दर से क्या समझते हो ? हिमाचल में ये कितनी है ?
- (iv) निहित बेरोजगारी का अर्थ बताते हुए हिमाचल प्रदेश की स्थिति स्पष्ट करो।
- (v) श्रम शक्ति व सक्रिय श्रम शक्ति में अन्तर स्पष्ट करो।

(स) वस्तुनिष्ठ प्रश्न

रिक्त स्थान भरो

- (i) 1991 की जनगणनानुसार हिमाचल की आबादी है।
- (ii) सर्वाधिक घना बसा जिला है।
- (iii) 1991 में हिमाचल में साक्षरता प्रतिशत है।
- (iv) हिमाचल प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी की संख्या है।
- (v) योजना प्रारूप के अनुसार सातवीं योजना में व्यक्ति रोजगार की तलाश करेंगे।

सही (✓) व गलत (×) के चिन्ह लगाओ।

- (i) हिमाचल में स्त्री-पुरुष अनुपात का अन्तर कम हो रहा है।
- (ii) हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है।
- (iii) सरकारी नौकरी में अभी रोजगार प्रदान करने की बहुत अधिक गुंजाइश है।
- (iv) गरीबी व बेरोजगारी एक दूसरे से जुड़े हैं।
- (v) जनसंख्या वृद्धि व बेरोजगारी में गहरा सम्बन्ध है।

